(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 3162–दो/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–06–2013 – पारित व्दारा – सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 3644–दो/2012 निगरानी

खिलन सिंह बल्द गोकल सिंह
ग्राम टिकरी बुजुर्ग तहसील
दमोह जिला दमोह मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

शिवसिंह पुत्र खिल सिंह लोधी
ग्राम हनौता तहसील दमोह जिला दमोह ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0के0पासी)
(अनावेदक पूर्व से ही अनुपस्थित है – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14–12–2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3644–दो/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–6–2013 पर से प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा हिनौता स्थित भूमि की खातेदार बड़ीबहू उर्फ बेनीवाई पत्नि मूरत सिंह की मृत्यु के

वाद पंजीकृत बसीयतनामा दिनांक 10-5-07 के आधार पर अनावेदक ने नामान्तरण की मांग की तथा आवेदक ने भी व्यवस्था पत्र दिनांक 5-3-09 के आधार पर नामान्तरण की मांग की। नायव तहसीलदार वृत्त हिण्डोरिया ने प्रकरण क्रमांक 27 अ-6/08-09 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को श्रवणोपरांत आदेश दिनांक 23-8-2010 से अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 98/अ-6/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-10 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-8-10 निरस्त किया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर दमोह के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 29अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 3-9-12 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी दमोह का आदेश दिनांक 3-12-10 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 3644-दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2013 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनर्विलोकन आवेदन में दिये गये विवरण पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक प्रकरण क्रमांक 3644-दो/2012 निगरानी में भी सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब भूमिस्वमिनी ने पंजीकृत बसीयत निरस्त करके आवेदक के हित में व्यवस्था पत्र दिनांक 5-3-09 संपादित कर दिया , किन्तु नायव

तहसीलदार ने साक्षीगण से व्यवस्था पत्र प्रमाणित न कराते हुये निरस्त की गई बसीयत के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण करने में त्रृटि की है, जब बसीयत एंव व्यवस्था पत्र की परिस्थितियॉ जानने एंव जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3-12-10 से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया, जिसे कलेक्टर दमोह ने आदेश दिनांक 3-9-12 गलत आधारों पर पारित करके नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को यथावत् रखने की गलती की है । बसीयत एंव व्यवस्था पत्र की परिस्थितियों की जांच से एंव साक्षीगण के कथनों से वास्तविक स्थिति उजागर होने का तथ्य बताते हुये राजस्व मण्डल से पारित आदेश दिनांक 5-6-13 में इस तथ्य को दृष्टिओझल होना बताते हुये पुनरावलोकन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5/ उक्तानुक्रम में नायव तहसीलदार वृत्त हिण्डोरिया के आदेश दिनांक 23-8-2010 , अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के आदेश दिनांक 3-12-10 तथा कलेक्टर दमोह के आदेश दिनांक 3-9-12 के पुर्नपरीक्षण करने पर आभाषित हे कि नायव तहसीलदार ने साक्षीगण से व्यवस्था पत्र प्रमाणित न कराते हुये निरस्त की गई बसीयत के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण किया है जो संदेह उत्पन्न करता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 3-12-10 से बसीयत एंव व्यवस्था पत्र की परिस्थितियों के बारे में गहन छानवीन एंव जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है परन्तु कलेक्टर दमोह ने इसे नजरन्दाज करते हुये नायव तहसीलदार के संदिग्ध आदेश को पुष्टिकृत करने में त्रृटि की है तथा राजस्व मण्डल से भी आदेश दिनांक 5-6-13 पारित करते समय मात्र यह मानकर कलेक्टर के आदेश को यथावत् रहने दिया कि व्यवस्था पत्र भूमिस्वामिनी ने

भतीजा दामाद के पक्ष में लिखा है जो परिवार की श्रेणी में नहीं है। बसीयत अथवा व्यवस्था पत्र संपत्ति-धारक स्वेच्छा से किसी को भी करने हेतु सामर्थ्यवान होता है और यही दृष्टिचूक आदेश दिनांक 5-6-13 पारित करते समय होने से आवेदक की निगरानी अमान्य की गई है जबकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों की पुर्नजांच होने से तथा साक्ष्य एंव सुनवाई होने से वास्तविक स्थिति सामने जा जावेगी।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3644-दो/2012 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-6-2013 एंव कलेक्टर दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 29अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 3-9-12 निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ-6/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-12-10 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर